तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29-9-22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्षकार अधिवक्ता निर्णय लिखवाया नहीं जा सका वास्ते निर्णय पत्रावली 6-10-22 को पेश हो।
6-10-22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित आदेश सुनाया गया वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा (RAS)

75/दावा/2016
दायरा दिनांक 14.09.2016

बउनवान

1. कैलाशचन्द बालिग आत्मज सूरजमल जाति मीना निवासी ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. जगदीश प्रसाद बालिग आत्मज सूरजमल जाति मीना निवासी ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
3. पुरुषोत्तम बालिग आत्मज सूरजमल जाति मीना निवासी ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
4. मन्नीबाई बालिग बेवा बालिग आत्मज सूरजमल जाति मीना निवासी ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

—वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल बालिग आत्मज पोखर जाति मीना निवासी ग्राम डापटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
2. सत्यनारायण बालिग आत्मज रतना जाति मीना निवासी ग्राम डापटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
3. बिहारीलाल बालिग रतना जाति मीना निवासी ग्राम डापटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
4. बाबूलाल बालिग आत्मज रतना जाति मीना निवासी ग्राम डापटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
5. संजय बालिग आत्मज रतना जाति मीना निवासी ग्राम डापटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
6. ममता बालिग पुत्री रतना
7. द्रोपदी बालिग पुत्री रतना

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

8. राजाबाई बालिग बेवा रतना समस्त जातियान मीना निवासीगण ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
9. मांगीबाई बालिग बेवा मोहन जाति मीना निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
10. जीतू आत्मज मोहन (नाबालिग) वली संरक्षक माता मांगीबाई बेवा मोहन जाति मीना निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
11. विजय मोहन (नाबालिग) वली संरक्षक माता मांगीबाई बेवा मोहन जाति मीना निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

— प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक :— 6.10.2022**

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट
उपस्थित :— सुनील कुमार सैन एड0 (वादी)
दिनेश कुमार शर्मा एड0(प्रतिवादी)

वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 के तहत एक वाद इस प्रकार का प्रस्तुत किया कि तहसील इन्द्रगढ़ के ग्राम डपटा स्थित वर्तमान खसरा सं0 749 रकबा 1.15 हैक्ट0 जिसके गत खसरा सं0 477 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा है उनकी पैतृक खातेकाश्त की कृषि भूमि है। यह भूमि उनके पिता सूरजमल पुत्र धन्नालाल जाति मीना निवासी लबान के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रतना, मोहन, रामगोपाल पुत्र पोखर जाति मीना निवासी ग्राम रामगंज से दिनांक 3.07.1990 को क्रय कर कब्जा काश्त कर ली थी तब से उनके पिता तथा पिता की मृत्यु उपरांत वे उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण हेतु वादीगण के पिता ने कार्यवाही करने के लिए संबधित राजस्व कर्मी को कहा पर उसने कार्यवाही नहीं की। पिता की मृत्यु के

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपरांत वादीगण ने पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण की कार्यवाही करने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर नायब तहसीलदार लाखेरी ने प्रार्थना पत्र पर यह अंकित करते हुए कि "प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विक्रय पत्र 26 वर्ष पुराना है, विक्रेता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण खुल चुका है वारिसान रिकॉर्ड पर आ चुके हैं और बंदोबस्त की कार्यवाही भी हो चुकी है अतः प्रार्थी सक्षम न्यायालय से वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करे"। प्रार्थना पत्र लौटा दिया।

इसलिए ग्राम डपंटा स्थित वाद ग्रस्त आराजी खसरा सं0 749 रकबा 1.15 हैक्ट0 का खातेदार वादीगण को घोषित कर प्रतिवादीगण को वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही, वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करें।

वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया प्रतिवादीगण सं0 3, 5 लगायत 8 व 11 बावजूद अनुपस्थित रहे उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादीगण सं0 1, 2, 4, 9, 10 की तरफ से अधिवक्ता गौरीशंकर उपस्थित हुए व प्रतिवादीगण सं0 12 स्वयं उपस्थित हुए परन्तु इन सभी प्रतिवादीगण को बहुत से अवसर लगातार दिए जाने पर इनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया इस कारण इनका जवाब बंद कर नियमतः अग्रिम कार्यवाही की गयी।

बहस एक तरफा सुनी अधिवक्ता वादीगण ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव कर वांछित अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रमाणित प्रतिलिपि राजस्व जमाबंदी ग्राम डपटा सम्वत् 2047 से 2050 अनुसार खसरा सं0 477 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी रतना, मोहन, रामगोपाल पि0 पोखर कौम मीना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3.07.1990 की प्रमाणित प्रतिलिपि अनुसार रतना, मोहन,

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

रामगोपाल पि0 पोखर जाति मीना ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि खसरा सं0 477 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण का बेचना रूपये 19000 में सूरजमल पुत्र धन्नालाल मीना निवासी लबान को कर मौका कब्जा संभल दिया था। प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल संवत् सन् 1.04.1995 से 31.03.2015 अनुसार गत खसरा सं0 477 के नवीन खसरा रूपये 749 रकबा 1.15 हैक्ट0 बने। वर्तमान खसरा सं0 749 ग्राम डपटा की राजस्व जमाबंदी सवत् 2069 से 2072 की प्रमाणित प्रतिलिपि अनुसार इस भूमि की खातेदारी रामगोपाल पि0 पोखर हिस्सा 1/3 हि. ब. मांगीबाई बेवा मोहन, जीतू, विजय पि0 मोहन नाबालिग संरक्षक वली माता मांगीबाई मैना पुत्री मोहन हिस्सा 1/3 सत्यनारायण, बिहारीलाल, बाबूलाल, संजय कुमार पुत्र रतना, ममता, द्रौपदी पुत्री रतना राजाबाई बेवा रतना हिस्सा 1/3 कौम मीना सा0 देह दर्ज रिर्कोड है। संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र सं0 14 अनुसार सूरजमल पुत्र धन्नालाल की मृत्यु 1.12.2012 को हो चुकी है एवं ऑनलाईन शिकायत निस्तारण सेवा के तहत लिखित रिमार्क अनुसार प्रकरण के संबंध में नायब तहसीलदार लाखेरी की टिप्पणी संबंधी कथन जो वाद पत्र में अंकित है की पुष्टि होती है। इस प्रकार वादपत्र में अंकित तथ्य कि ग्राम डपटा स्थित गत खसरा सं0 477 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा का बेचान तत्कालीन खातेदार अर्थात् प्रतिवादीगण के पिताओं ने वादी गण के पिता को किया इस विक्रय पत्र से हुए अंतरण का तत्समय नामान्तरकरण नहीं होने से राजस्व रिर्कोड में अमल नहीं हुआ इस कारण वादीगण का नाम वर्तमान राजस्व रिर्कोड में जरिये विरासत नामान्तरकरण दर्ज हो गया होना सिद्ध होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी को ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़ के वर्तमान खसरा सं0 749 रकबा 1.15 हैक्ट0 सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वो ग्राम डपटा के खसरा सं0

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

749 में वादी के उपभोग में किसी प्रकार से स्वयं या किसी प्रतिनिधी में माध्यम से बाधा उत्पन्न न करे। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.10.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी

प्राथमिक डिकी ब मुकदमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.............................. मुकाम..........................लाखेरी.................व
इजलास.......................श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)..

1 कैलाश चन्द आ0 सूरजमल जाति मीना निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. जगदीश प्रसाद आ0 सूरजमल जाति मीना निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3.पुरूषोत्तम आ0 सूरजमल जाति मीना निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4. मन्नीबाई आ0 सूरजमल जाति मीना निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

(वादीगण)

बनाम

1. रामगोपाल आ0 पोखर जाति मीना निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
2. सत्यनारायण आ0 रतना जाति मीना निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
3. बिहारीलाल आ0 रतना जाति मीना निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4. बाबूलाल आ0 रतना जाति मीना निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
5. संजय आ0 रतना जाति मीना निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
6. ममता पुत्री रतना जाति मीना निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
7. द्रोपदी पुत्री रतना जाति मीना निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
8. राजाबाई बेवा रतना जाति मीना निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
9. मांगीबाई बेवा मोहन जाति मीना निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
10. जीतू आ0 मोहन वली संरक्षक माता मांगीबाई बेवा मोहन जा0 मीना निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
11. विजय मोहन वली संरक्षक माता मांगीबाई बेवा मोहन जा0 मीना निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 88,89,188 आर0टी0एक्ट।...................

मुकदमा नम्बर.................................75 / दावा / 2016...सन...
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...हमरे...
.............व हाजिरी .

1.श्री सुनील सैन एडवोकेट(वादी)..।मिनजानिबमुद्दइकृ श्री दिनेश कुमार शर्मा एडवोकेट(प्रतिवादी)..
....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ के वर्तमान ख0सं0 749 रकबा 1.15 हैक्ट0 सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

है कि वे ग्राम डपटा के ख0सं0 749 में वादी के उपभोग में किसी प्रकार से स्वंय या किसी प्रतिनिधी के माध्यम से
उत्पन्न न करे।

..........बाबत..........

..........मुबलिग..........फीसदी सालाना आज की

..........निज..........

..........खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....का अदा करें।

तारीख से तारीख अदायगी तक ....

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..06.. ...माह.........10......... सन...2022..........को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

मुहर	रूपया	पैसे
मुद्दई		
1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा		
3.स्टाम्प वजह सबूत		
4.महनताना वकील		
5.खर्चा गवाहॉन		
6.फीस कमिश्नर		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		
मीजान		

मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प अर्जी		
3.महनताना वकील		
4.खर्चा गवाहॉन		
5.फीस कमिश्नर		
6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.मुत्तफरिक		
मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी